1160/(A)
17/04/2023

(6/6)

W.B. INFORMATION ... RECEIVED ... 17 APR 2023

संसद द्वारा पारित सू०अ०अधि० -2005 की धारा -19 (3) के तहत **द्वितीय-अपील** 3प्रतियोंमें **दि० 12 / 04/ 2023**

पत्रांक:- 23089 A / अपील विरूद्ध P.I.O. कार्या० पुलिसअधीक्षक ' रेलवे ' हावड़ा पं०बंगाल **पंजीकृत**

:- पारदर्शिता से कॉपती है भ्रष्ट व्यवस्था & भ्रष्टाचारी इसी से सूचनाएं नहीं दी जाती :- - - - -

पहले था देश वीर जवानों का। अब है देश लुटेरों और बेईमानों का।। सब जगह फैले हैं भ्रष्टाचारी।।।

प्रेषक:- भारत का करदाता मतदाता सह अपीलार्थी नाम:- **मुनीन्द्र नाथ राय (85)** पुत्र स्व० शिवकुमारराय
ग्राम:- सोहॉव , पोस्ट:- सोहॉव, जिला - बलिया 277504,उ०प्र०,
मोबा०:- 9555100129, ईमेल:- munindranathr@gmail.com

प्रेषित:- मुख्य सूचना आयुक्त,पं०वं०रा०सू०आयोग, 11मिर्जागालिब स्ट्रीट , खाद्य भवन , कोलकाता , 700087
ईमेल: scic-wb@nic.in;

द्वितीय अपील का विवरण INDEX :-

1- F.A.A. का विवरण नाम / पद :- प्रथम अपीलीय अधिकारी जनसूचना, पुलिस उपमहानिरीक्षक (रेलवे) पं०बंगाल
- जिसके विरूद्ध अपील की गयी है :- अरक्षा भवन, साल्टलेक सिटी, 7वॉ तला, कोलकाता 700091

2-संबधित जन सूचनाधिकारी का नाम/पद:- जन सूचना अधिकारी कार्या० पुलिस अधीक्षक (रेलवे) यात्री निवास, न्यू-काम्प्लेक्स द्वितीय तल , हावड़ा, 711101,पं०बंगाल

3-F.A.A.के समक्ष प्रस्तुत अपील का ब्यौरा:- पत्रांक: 23077 MNR / अपील विरूद्ध..... दि०: 06/ 02/ 2023 रजिस्ट्री सं०RU367617138IN सहित प्रति संलग्न पृष्ठ सं० 04 है।

4-अपील पर पारित आदेश का ब्यौरा:- आज दिन तक नहीं मिला है नियमानुसार पत्र प्राप्ति की पावती भी नहीं दिया है।

आईपीसी - 1860 की सुसंगत धारा - 21 के तहत सभी लोक सेवक हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 की सुसंगत धारा - 21 के समकक्ष आईपीसी 1860 की सुसंगत धारा - 52 के तहत सद्भावनापूर्ण ही कार्य करने को बाध्य हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 के अध्याय - 4 के अधीन धारा -15 (4) के तहत मुख्य सूचना आयुक्त / सूचना आयुक्त किसी के दबाव में आए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करने को बाध्य है।

5- अपेक्षित सूचना/घटना का संक्षेप में तथ्य:- जनता के करों Taxo से आये सरकारी धन से प्राप्त सारी सुख सुविधाएं वेतन भत्तों से भ्रष्ट तंत्र में कुछ भ्रष्ट सरकारी लोकसेवकों का सुरसा से भी बड़ा पेट नहीं भर रहा है।

सरकारी भ्रष्टाचारियों के मिली भगत से कूट रचित अभिलेख के आधार पर HC / R.P.F राम "कवल "राय के मृत्यु बाद मृतक के भाई राम "अनन्त " राय ने अपने पुत्र कमलाकर राय को शैक्षिक अभिलेख में "अनन्त " के ऊपर मोटी कलम से " कवल " बनवाकर इसी कूटरचित अभिलेख के आधार पर भ्रष्ट तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण R.P.F. की मिलीभगत से मृतक अनुकम्पा का लाभ लेने का संज्ञेय अपराध किया गया है।

जिसकी शिकायत पर रेलवे बोर्ड / R.P.F. विभाग अपने पूर्व में की गई गलतियों को सुधारने की जगह गलत दलीलें देकर HC / RAM KAWAL RAI के जीवन काल का सेवा पुस्तिका का बिना जांच किए और अनुकम्पा नियुक्ति में से पूर्व बिना उचित जॉच के फर्जी ढंग से अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ ले देकर जघन्य संज्ञेय अपराध किया गया है।

इक्कीसवी सदी के भ्रष्टाचार युक्त भारत का जागरूक नागरिक होने के कारण उपरोक्त संज्ञेय अपराध की "प्रथम सूचना" सभी साक्ष्यों सबूतों (विशेष कूट रचना करने वाले विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य रविन्द्र नाथ पाण्डेय का स्वलिखित बयान + अन्य ब्रजेश राय का बयान सहित) कुल 14 पन्ने संलग्नको सहित थानाध्यक्ष Govt Rail Police. & Supritendent Of Police RAILWAY HOWRAH W.B. को दिया गया।

पृष्ठ 6 का 6

मुनीन्द्रनाथराय
12/4/023

5/6

6-अपील का आधार:- संज्ञेयअपराध की प्रथम सूचना के संबंध में "ललिता कुमारी vs स्टेट ऑफ यू.पी." में सुप्रीम कोर्ट / हाईकोर्ट द्वारा दिए गए पूर्व निर्णयों / निर्देशो के आलोक में दिया गया संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना पर थानाध्यक्ष G.R.P. HOWRAH द्वारा प्राथमिकी दर्ज न करने पर Supdt. Of Police,G.R.P. हावड़ा को दिया गया है। SHO, & SP, GRP को दिये गये संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना परिवाद पर कृत सम्पूर्ण कार्यवाही के लिए जनसूचना आवेदन दिया है। आज दिन तक अपेक्षित सूचनाएं प्राप्त न होने/प्रथम अपील पर भी सुनवाई न होने कारण द्वितीय अपील प्रस्तुत हैं:-

7- प्रार्थना अनुतोष:- यह है कि ससमय सूचनाएं नहीं देने के कारण Rti Act 19(8)b के तहत् आर्थिक मानसिक क्षतिपूर्ति दिलवाया जाए। RtiAct 20(1)के तहत दण्ड अधिरोपित किया जाय और 20(2)के तहत विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा करते हुए सेवा पुस्तिका में दर्ज कराकर प्रति प्रदान करें। और F.A.A. द्वारा आज दिन तक निर्णय न करने कारण F.A.A. D.I.G. POLICE RAIL के विरूद्ध RtiAct 19(8)a के तहत विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा करते हुए सेवा पुस्तिका में दर्ज कराकर प्रति प्रदान करें। और पीठासीन अधिकारी स्वयं आवेदक का पक्ष रखते हुए जनसूचना आवेदन 6 (1) में अपेक्षित बिंदुवार प्रत्येक वाक्यों शब्दों के सुस्पष्ट तर्कसंगत सूचना प्राप्त कर सूचना का आवेदन से मिलान कर सही सही संतुष्ट होकर आयोग की सील मुहर से प्रमाणित कर उपरोक्त आदेश की प्रतियों के साथ रजिस्ट्री डाक से हमारे पता पर प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

8-अतिमहत्वपूर्ण विशेष अनुरोध:- यह है कि राजभाषा अधिनियम 1973 का सम्पूर्ण सम्मान करते हुए हिन्दी में निर्णय प्रदान करें। निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में निर्णय के विरूद्ध धारा 17 के तहत अग्रिम कार्य -वाही हेतु संबंधित पटल का नाम पदनाम सम्पूर्ण पता का निर्णय के अंत में उल्लेख किया जाय। सुनवाई के लिए प्रेषित नोटिस में पीठासीन अधिकारी कक्ष का आडियो / विडियो सुनवाईनं०,व्हाट्सएपनं०,ईमेल, अवश्य दिया जाय।

9-संलग्न अभिलेखों की INDEX सूची :-

पृष्ठ1/2 ज०सू०आ०पत्रांक: 22/048 दि० 25 /11 /2022 RU701350982IN DelOn 30/ 11/ 2022

3- SPIO, SP, GRP, HOWRAH का दिया गया पत्र " MemoNo. 4671/ E Dated 28/ 12/ 2022 बिना नाम मुहर के, बिना उचित प्रारुप में, सूचना अधिकार अधिनियम के विरूद्ध भ्रामक अपूर्ण सूचना

4- प्रथम-अपील पत्रांक : 23077 MNRai / अपील विरूद्ध SPIO, SP, (G.R.P.) HWH, दि०06/ 02/ 2023 RU367617138IN, Delivered on 10/02/2023 By Postman Tapas kr BeatNo.5 प्रति

सत्यापन:- मै मुनीन्द्र नाथ राय राय पुत्र स्व० शिवकुमार राय निवासी ग्रा०- सोहॉव, पो०- सोहॉव , जिला -बलिया उ०प्र० एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैने उक्त संबंधित कोई अन्य द्वितीय अपील दायर नही की है जहाँ तक मेरी जानकारी/विश्वास है कि इस द्वितीय अपील मे उपलब्ध कराये गये ब्यौरे सत्य एवं सही है और मैने कोई सारवान तथ्य छुपाया नहीं हैं।

संलग्नक:- उक्तानुसार 04 स्थान: सोहॉव

करदाता मतदाता का हस्ताक्षर

प्रतिलिपि सभी संबंधित को ईमेल से सूचनार्थ:- howrahgrps2017@gmail.com; srphwhpolic@yahoo.com; digrailwayswb@gmail.com; igprailwayswb@gmail.com; adgprlyswb@gmail.com; dgprlyswb@gmail.com; sopublic@rb.nic.in;

12/4/023

पृष्ठ 5 का 6

3

4/6

जo सूo अo अधिo -2005 की धारा -19 (1) के तहत प्रथम अपील ईमेल / पंजीकृत

पत्रांक: 23077 MNRai / अपील विरुद्ध SPIO, S.P. (G.R.P.) HWH, दिo 06 / 02/ 2023

प्रेषक:- भारत का करदाता मतदाता वoनाo(84yr), Rtiकार्यकर्ता (सह शिकायतकर्ता / सूचनादाता)

नाम :- मुनीन्द्र नाथ राय पुत्र स्वo शिवकुमारराय

ग्राoपोo:- सोहॉव, जिला -बलिया उo प्रo 277504,

मोबाo:- 9555100129 ईमेल:- munindrnathr@gmail.com

प्रेषित:- पुलिस उपमहानिरीक्षक (रेलवे), पंoबंगाल, अरक्षा भवन

साल्टलेक सिटी, सातवाँ तला, कोलकाता-700091,digrailwayswb@gmail.com

लोकसेवक,

भारतीय डाक
RU367617138IN IVR:82853676171
RL SOHAON SO <277504>
Counter No:1,06/02/2023,13:45
To:THE DEPUTY IN,KOLKATA
PIN:700091, Sech Bhawan SO
From:MUNINDRA NATH RAI,SOHAON
Wt:20gms
Amt:17.00()PS:5.00
India Post

Del on 10/2/023 Tapaskr B5

अपीलार्थी ने संज्ञेय अपराध की शिकायत / सूचना थानाध्यक्ष, GRP, HOWRAH -1 को पत्रांक 22/030 / मुनीन्द्र नाथ ..पंजीकृत दिo 15/10/2022 को दिया पुनः S.P. G.R.P. यात्री निवास, 2तल Howrah-1,पंo बंगाल को दिया पावती / F.I.R प्रति न मिलने पर पुनः ईमेल से सूचित किया है। 30 जनवरी2023 सम्पूर्ण साक्ष्यों सहित आपको भी ईमेल प्रेषित है। आपका ईमेल बाबू आपके समक्ष प्रस्तुत किया या नहीं ..? अवगत होना चाहे। आवेदक ने अपने दिये शिकायत सूचना पर कृत कार्यवाही की सूचना "जनसूचना अधिकारी" कार्याo पुलिस अधीक्षक रेल, यात्री निवास, न्यू-काम्पलेक्स द्वितीय-तल, हावड़ा-711101 पंoबंगाल, से जo सूo आo दिo 25/11/2022 से कुल 12 बिंदुओं (1,1A to 1F, 2, 2A to 2C, & 3,) में मॉगा हूँ। एक भी विंदु की सूचना पूर्णरूपेण सही न देकर जानबूझकर जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 उददेश्य का असदभावनापूर्ण-कार्य करके घोर उल्लंघन किया गया है।

अपील का आधार :-

लोक जन सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और राजभाषा अधिनियम 1973 का उल्लंघन किया है।

1) मद संo 1 के बारे में कहना है कि लोक जo सूo अधिकारी सूoअo अधिo 2005 की धारा 7(4) का उल्लंघन किया है।

2) मद संo 1A के बारे में कहना है कि लोक जन सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 24 (4) का हवाला देकर यह सूचना को रोकना चाहते हैं और इससे साबित होता है कि सुरक्षा संगठनों द्वारा भ्रष्टाचार और मानव के अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होगा।

3) मद संo 1B के बारे में कहना है कि लोक जन सूचना अधिकारी "नो एफ आई आर लॉज" लिखकर भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं क्योंकि एफ आई आर की सत्यापित प्रतिलिपि नहीं है। जब कि दिये गये शिकायत /सूचना पृष्ठ 2/3 पर माo सर्वोच्च न्यायालय का संज्ञेय अपराधों के संबंध में पूर्व में दिया गया आदेश-निर्देश भी उल्लिखित है इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी अवहेलना किया गया है।

4) मद संo 1C थानाध्यक्ष (S.Roy) का पूरा नाम टोकन/टिकट नम्बर नही दिया गया है,

5) मद संo 1D के बारे में कहना है कि लोक जन सूचना अधिकारी सम्पूर्ण डाक पत्राचार पता अपने थाना G.R.P. हावड़ा के न्यायाधिकारी न्यायालय का नहीं देकर केवल "हावड़ा कोर्ट" जब कि हावड़ा कोर्ट मे कई न्यायालय है/होगे उसमे से किस न्यायाधिकारी न्यायालय मे थाना हावड़ा GRP का केस दाखिल किया जाता है उस कोर्ट न्यायाधिकारी का पद कक्ष संख्या नहीं देकर संबंधित लोक सेवकों को बचाना चाहते हैं

6) मद संख्या 1, 1E, F, 2, 2A, 2B, 2C के बारे में कहना है कि लोक जन सूचना अधिकारी जिस आधार पर Not Applicable लिखकर दिया है Not Applicable लिखने का आधार नहीं बताया गया है इसलिए सूचना को इन्होंने छुपाया है और अपने पदों का असदभावनापूर्ण तरीके से दुरुपयोग किया है।

अतः जन सूचना अधिकार अधिनियम -2005 की धारा 7(6) के तहत निःशुल्क सभी सत्यापित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए सूचना उपलब्ध कराई जाए।

संलग्नक:-जoसूoआo6(1) की प्रति & SPIO का मेमोनंo4671E प्राप्ति 11/01/2023। हस्ताक्षर अपीलार्थी

पृष्ठ 4 का 6

12/4/023

06/02/2023

3/6

Government of West Bengal
Office of the Superintendent of Police
Govt. Railway Police, Howrah

Memo No. 4671 /E

Dated. 28 /12/2022

To
Shri Munindra Nath Rai
S/O Late Shib Kumar Rai
Vill. & P.O. - Sohaon
Dist. - Ballia
U.P.-277504

Sub: Reply on your application under RTI Act 2005.

With reference to the above, sending herewith the point wise information as sought for-

Point No. 1: Not applicable.
Point No. 1A: The report is exempted under Sec. 24 (4) of the RTI Act 2005.
Point No. 1B: No FIR lodged.
Point No. 1C: Inspr. Shri S. Roy in charge of Howrah GRPS. Contact-03326413508.
Point No. 1D: Howrah Court.
Point No. 1E: Not applicable.
Point No. 1F: Not applicable.
Point No. 2: Not applicable.
Point No. 2A: Not applicable.
Point No. 2B: Not applicable.
Point No. 2C: Not applicable.
Point No.3: the Deputy Inspector General of Police, Railways, West Bengal, Araksha Bhawan, Salt Lake City, 7th Floor, Kolkata- 700091 is the First Appellate Authority.

This is for your information.

12/1/023

28/12

Superintendent of Police
Govt. Railway Police, Howrah
and SPIO

2/6

2022 से सूचित किया जो Post Man द्वारा 17.11.22 को अधीक्षक रेल पुलिस हावड़ा -1 के यहां प्राप्त कराया गया है। पावती, सूचना F.I.R. प्रति न मिलने पर Reminder ईमेल 6 Nov 22 14:46pm & 22 Nov 2022 14:22pm पर भी भेजा गया है।

अतः हमारे द्वारा दिये गये उक्त दोनों प्रतिवेदनों [पत्रांकः 22/030 (थानाध्यक्ष को) व पत्रांकः 22/038 (SP, GRP, को)] पर सूचना देने के दिनों तक उस पर सम्पूर्ण कृत कार्यवाही (आदेश-निर्देश, टिप्पणीयों कार्यवाहीयों) की प्रमाणित प्रतियां निम्नानुसार बिंदुवार प्रत्येक शब्दों/वाक्यों के तर्कसंगत सूचना प्रदान करें:-

1- थाना S.H.O., G.R.P., Howrah-1 मे मेरा F.I.R. प्रतिवेदन दि० 15.10.2022 प्राप्ति 25.10.2022 का रोजनामचा (G.D.) में अंकित डायरी नं० प्रदान करें।

1A- मेरे प्रतिवेदन 15.10.22 पर दिया गया आदेश-निर्देश टिप्पणी की प्रति सहित आदेश करने वाले का नाम पदनाम MobNo. सहित मेरे प्रतिवेदन के ऊपर किये गये टिप्पणी वाले पृष्ठ की प्रमाणित छायाप्रति दिया जाय।

1B- आज दिन तक F.I.R. (संज्ञेय अपराध की कूट रचित ओवराईटिंग अभिलेखीय साक्ष्यों सहित प्राप्त सूचना पत्र के पेज 2/3 पर उल्लिखित नियमानुसार) दर्ज कर मेरी प्रति आज दिन तक न देने का नियमो की प्रति प्रदान करें।

1C- थानाध्यक्ष G.R.P., HOWRAH-1 नाम पदनाम मोबा० नं०/ईमेल सहित प्राप्त शिकायत सूचना पर F.I.R. दर्ज न करने में अपना इंटरेस्ट बताये जैसा कि मुझसे पूछा गया मैंने बता दिया कि देश का नागरिक होने के कारण गलत कार्य/अपराध की सूचना देना मेरा कर्तव्य/अधिकार है उसे मै कर रहा हूँ SHO अपना कर्तव्य कब करेंगें..?

[जैसा कि थाना हावड़ा टेलीफोन नं० +913326413508 से 22.11.22 समय 12.07pm स्वेच्छाचारिता पूर्वक, असदभावनापूर्ण तरीके से F.I.R. दर्ज करने के अपना कर्तव्य करने के जगह मुझसे इंटरेस्ट पूछ रहे थे..? तो वह जान ले मै भारत का नागरिक करदाता मतदाता होने के कारण (वह भी R.P.F. Dept द्वारा हमारे शिकायतो पर कार्यवाही न किये जाने से जिसकी प्रतियां प्रतिवेदन में संलग्नक है) हमने स्वयं F.I.R. जनहित राजस्व/देशहित मे गलत फर्जीवाड़ा से प्राप्त नौकरी के अपराध की सूचना देना अपना कर्तव्य समझकर दिया हूँ।]

1D- थानाध्यक्ष G.R.P., Howrah-1 अपने यहाँ के F.I.R. अपराध का CHARG SHEET/आरोपपत्र Submit/दाखिल करने वाले न्यायाधिकारी COURT/न्यायालय का FULL Sufficient POSTAL ADDRESS पत्राचार पता प्रदान करें।

1E- दि०14 Nov 2022,7:29 का howrahgrps2017@gmail.com पर प्रेषित मेल का पावती/प्रत्युत्तर प्रदान करें।

1F- संज्ञेय अपराध की प्राप्त शिकायत सूचना पर नियमानुसार दर्ज F.I.R. मे से हम शिकायतकर्ता की प्रति दे।

2- Supretendent of Rail police Howrah को प्रेषित पत्रांकः 22/038/मुनीन्द्र नाथ राय/F.I.R विरुद्ध राम अनन्त राय...दि० 11.11.22 प्राप्ति 17.11.22, का S.P. GRP, Office में से डायरी नं० दिया जाय, और उक्त शिकायत पत्र पर S.P., GRP,/ सक्षम अधिकारी द्वारा देखने आदेश-निर्देश टिप्पणी की प्रमाणित प्रति सहित आदेश करने वाले अधिकारी का नाम पदनाम मोबा० No., ई-मेल प्रदान करें, और मेरे प्रतिवेदन पत्रांक 22/038 पर अधिकारी द्वारा किये गये seen टिप्पणी वाले पृष्ठ/पेज की प्रमाणित छायाप्रति दिया जाय।

2A-आदेश-निर्देश टिप्पणी सहित अनुपालन हेतु जिसे भेजा गया उसका नाम पदनाम मोबा० नं० ई-मेल दिया जाय।

2B- S.P., G.R.P., HOWRAH-1 अपने आदेश-निर्देश पर सूचना देने के दिनो तक प्राप्त अनुपालन आख्या की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।

2C- दि० 6 Nov 2022 14:46 & 22 Nov 2022 14:21 को srphwhpolice@yahoo.com पर प्रेषित दोनो मेल का पावती डायरी नं० और प्रत्युत्तर आज तक प्राप्त नही है, प्रदान करें।

3- P.I.O./जनसूचनाधिकारी & प्रथमअपीलीयअधिकारी /F.A.A. Rti का नाम, पदनाम, मोबा०नं०, ई-मेल भी प्रदान करें।

सूचना शुल्क ₹ 5 × 2, IPONo.73C215469 & 470 = ₹10/- संलग्न है।

<u>भारत का करदाता मतदाता नागरिक</u>

मुनीन्द्र नाथ राय
25/11/2022

पृष्ठ 2 का 6

12/1/023

...न्ना COUNTERFOIL
...कर प्रेषक अपने पास रख ले।
...detached and kept
...by the Sender.
पोस्टल आर्डर
₹ 5.00 Rs.
...STAL ORDER
...करना P.I.O, o/o S.P. Rail
...n payable Police HOWRAH-1
...में ...Office
...स किया है ...crossed NO
...रीख ...25/11/022
215469

₹ 5.00 Rs.
...STAL ORDER
...करना P.I.O. o/o S.P. Rail
...n payable Police HOWRAH-1
...में ...Office
...स किया है ...crossed NO
...रीख 25/11/022
215470

(1/6)

संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 की धारा- 6 (1) के तहत आवेदन पत्र
आवेदन को लोक अभिलेख मे अभिलेखित कराकर प्रपत्र - क अनुसार वास्तविक व अर्थपूर्ण सूचना प्रदान करें

पत्रांक:- 22/048 /मुनीन्द्र नाथ राय /ज०सू०अ० अधीक्षक रेल पुलिस हावड़ा -1,प०बं०. ईमेल/ पंजीकृत दि०

प्रेषक:- भारत का वरिष्ठ नागरिक (84 yr), RTI कार्यकर्ता, सह मतदाता, सह शिकायतकर्ता /सूचनादाता 25 / 11 / 2022
आवेदक का नाम :- मुनीन्द्र नाथ राय पुत्र स्व०शिव कुमार राय
पता:- ग्राम -सोहॉव, पोस्ट -सोहॉव, जिला -बलिया- उ०प्र० 277504
मोब०न०:- 9555100129 ईमेल:- munindranathr@gmail.com

भारतीय डाक India Post
RU701350982IN IVR:8285701350982
RL SOHAON SO <277504>
Counter No:1,25/11/2022,11:38
To:SUPRETENDENT ,HOWRAH
PIN:711101, Howrah HO
From:M N RAI,SOHAON
Wt:10gms Delon 30/11/022

प्रेषित:- जन सूचना अधिकारी कार्यालय पुलिस अधीक्षक रेल,
- यात्री निवास, न्यू काम्प्लेक्स द्वितीय तल, हावड़ा -711101,प० बं०

लोकसेवक,

भ्रष्टतंत्र में भ्रष्टाचारी फर्जीवाड़ा करके भारत के नागरिक गरीब जनता के टैक्सों (TAXES) से आये सरकारी धन का कूटरचना करके / नाजायज ढंग से विधि विरूद्ध गलत तरीके से भ्रष्टाचारियों के सहयोग से लूट लूटकर मस्त हैं और साधारण गरीब जनता त्रस्त है।

सूचित करना है कि शैक्षिक अभिलेख में कूटरचना करके R.P.F. HOWRAH -1 मे कार्यरत HC / 1717, RAM KAWAL RAI की मृत्यु दि० 31/07 /1992 बाद राम अनन्त राय ने विद्यालय के अभिलेख से KAWAL कवल के ऊपर मोटी स्याही से (विद्यालय मे अपने सगे पट्टीदार Sr. CLERCK के सहयोग से) अनन्त बनवाकर अपने लड़के कमलाकर राय को सरकारी भ्रष्टतंत्र में बिना उचित जाँच - पड़ताल के भ्रष्टाचारियों के मिलीभगत से अनुकम्पा का लाभ लेने मे सफल हुआ है जिसकी जानकारी होने पर कूटरचित छात्र -छात्रा पंजिका स्कालर रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति (प्रेषित प्रतिवेदन मे संलग्नक सं० 1 है) और Sr. D.S.C., R.P.F., HOWRAH -1 द्वारा दिया गया प्रमाण कि Ram Kawal Rai का लड़का / लड़की होने संबधित उल्लेख उनके सेवा पुस्तिका में नहीं है Only one Pension Form -19 ,ही है जो Ram Kawal Rai के जीवन -काल का नहीं है बल्कि RAM KAWAL RAI के मृत्यु बाद जानबूझकर सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत केवल पेंशन फार्म -19 मे नाम लिख दिया गया है।

इस प्रकार अनुकम्पा मृतक आश्रित का नाजायज ढंग से लाभ लेने की शिकायतों पर R. P. F. विभाग द्वारा (पूर्व मे अपने R.P.F. विभाग द्वारा की गयी गलतियो को सुधारने की जगह येन-केन प्रकारेण गलत दलीले देकर साक्ष्यों की अनदेखी करने के कारण) संज्ञान न लिए जाने पर भारत का नागरिक होने के कारण "भ्रष्टाचार मुक्त भारत" के परिदृश्य मे जनहित में स्वयं प्रतिवेदन F.I.R. देने को बाध्य हुआ हूँ।

1- प्रथम सूचना F.I.R. का प्रतिवेदन थानाध्यक्ष, थाना सरकारी रेल पुलिस, S.H.O., G.R. P. HOWRAH -1 को पत्रांक:- 22/ 030 / मुनीन्द्र नाथ राय / एफ. आई. आर. विरुद्ध राम अनन्त राय वगैरह जरिये पंजीकृत डाक प्रतिवेदन दि० 15/ 10/ 2022 से सभी साक्ष्यों सबूतो बयानों शिकायतों की सभी स्वप्रमाणित कुल 14 चौदह प्रतियों के संलग्नकों सहित दिया जो Post Man Beat B1 Purabibag द्वारा 25 / 10 / 2022 को G. R. P. थाना- हावड़ा -1 मे प्राप्त कराया गया है और पुन: स्मरण ई-मेल 14 Nov 2022, 7:29 पर भेजा गया है।

2- F. I. R. की प्रति न मिलने पर S.P., G.R.P, Yatri Niwas, New Complex, 2nd Floor HOWRAH -1W.B. को पत्रांक:- 22 / 038 मुनीन्द्र नाथ राय / एफ. आई. आर. विरूद्ध राम अनन्त राय वगैरह पंजीकृत दि० 11/ नवम्बर/

पृष्ठ | of 6

25/11/2022 12/4/023

HEARING ON 15-12-2025

State Chief Information Commissioner West Bengal < scic-wb@nic.in >

Wed, 03 Dec 2025 1:19:56 PM +0530

To "srphowrahcontrol"<srphowrahcontrol@gmail.com>

Cc "munindranathr"<munindranathr@gmail.com>

Please find the attachment, for further details visit our website

West Bengal Information Commission

1 Attachment(s)

WBIC-RTI-A-104431-1955-202…
16 KB

D.NO - 4890 (ATR)
08/12/25

Link.D.NO -

Org No.10634/RO

SRP HOWRAH < srphowrahcontrol@gmail.com >
Mon, 08 Dec 2025 3:48:06 PM +0530

To "scic-wb"<scic-wb@nic.in>

Please see the attachment file.......

1 Attachment(s)

10634.pdf
137.8 KB

Hearing - 15/12/2025
H'sele

(Se)

): Hon'ble State Chief Information Commissioner, West Bengal Information Commission, Khadya Bhawan(.)

'om: SPIO, Howrah GRP(.)

rg No. 10634/RD Date- 08.12.25

Ref:- Memo No. 6509-WBIC/RTI/A/104431/1955/2025 Date: 03/12/2025 (.)

In accordance with your above message, sending herewith the e-mail id- is vhgrpdsrphq@gmail.com and mobile number is 9147889651 of SPIO, Howrah GRP District(.)

This is for your kind perusal(.)

08.12.2025
SPIO, Howrah GRP

D.NO-4958 (ATR)
12/12/25

Link D.NO-

Memo no.4694/E

SRP HOWRAH < srphowrahcontrol@gmail.com >

Fri, 12 Dec 2025 2:39:05 PM +0530

To "scic-wb"<scic-wb@nic.in>

Please see the attachment file....

1 Attachment(s)

4694.pdf
600.3 KB

Hearing - 15/12/2025
H'SCIC

(SC)

Government of West Bengal
Office of the Superintendent of Police,
Government Railway Police, Howrah

Memo No. 4694/E **Date:** 12 **/12/2025.**

To
The Hon'ble State Chief Information Commissioner,
West Bengal Information Commission,
Khadya Bhawan,
11A, Mirza Galib Street,
Kolkata – 700087.

Ref: Memo No- 6509-WBIC/RTI/A/104431/1955/2025 Dated : 03/12/2025.

In accordance with your kind order in connection with above noted reference, this is to apprise you that Memo No- **6509-WBIC/RTI/A/104431/1955/2025** Dated **03/12/2025,** an appeal petition has been submitted by Munindra Nath Rai.

As per his appeal the hearing date has been fixed on 15/12/2025. It is pertinent to mention that on 30/11/2022 the above applicant was submitted a RTI application to SPIO, Howrah GRP District. As per his RTI Application the reply was sent to the applicant Munindra Nath Rai by the then SPIO, Howrah GRP District in stipulated period vide Memo No. 4671/E Dated 28/12/2022. (copy enclosed)

This is for favour of your kind information.

12.12.25

Dy. Superintendent of Police,
Govt. Railway Police, Howrah
and SPIO

Copy to: Munindra Nath Rai, S/O- Lt. Shib Kumar Rai, Vill+P.O.- Sohaon, Dist.- Balia, Uttar Pradesh, Pin- 277504, e-mail ID- munindranathr@gmail.com , Uttar Pradesh, Ballia, 277504.
---------For information.

Dy. Superintendent of Police,
Govt. Railway Police, Howrah
and SPIO

Government of West Bengal
Office of the Superintendent of Police
Govt. Railway Police, Howrah

Memo No 4671 /F Dated. 28 /12/2022

To
Shri Munindra Nath Rai
S/O Late Shib Kumar Rai
Vill. & P.O. - Sohaon
Dist. - Ballia
U.P.-277504

Sub: Reply on your application under RTI Act 2005.

With reference to the above, sending herewith the point wise information as sought for-

Point No. 1: Not applicable.
Point No. 1A: The report is exempted under Sec. 24 (4) of the RTI Act 2005.
Point No. 1B: No FIR lodged.
Point No. 1C: Inspr. Shri S. Roy in charge of Howrah GRPS. Contact-03326413508.
Point No. 1D: Howrah Court.
Point No. 1E: Not applicable.
Point No. 1F: Not applicable.
Point No. 2: Not applicable.
Point No. 2A: Not applicable.
Point No. 2B: Not applicable.
Point No. 2C: Not applicable.
Point No.3: the Deputy Inspector General of Police, Railways, West Bengal, Araksha Bhawan, Salt Lake City, 7th Floor, Kolkata- 700091 is the First Appellate Authority.

This is for your information.

Superintendent of Police
Govt. Railway Police, Howrah
and SPIO